

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

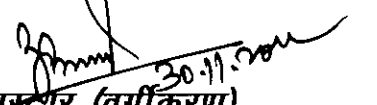
कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3513 / 2022

दिनांक : 30.11.2022

श्री मुकुल गहलोत (RJ0948), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-10, जयपुर महानगर-II (मुख्यालय-चौमू) को दिनांक 01.12.2022 से 15.12.2022 तक 15 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री गहलोत की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-07, जयपुर महानगर-II इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-10, जयपुर महानगर-II (मुख्यालय-चौमू) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/177/2015/ 7888

दिनांक 30.11.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 5739 दिनांक 20.10.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री मुकुल गहलोत (RJ0948), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-10, जयपुर महानगर-II (मुख्यालय-चौमू)।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-10, जयपुर महानगर-II (मुख्यालय-चौमू)।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-07, जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार